

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(iv) स्तंभ 11 में, की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

शीर्षक :— “भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता”

“सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।”

(v) स्तंभ 12 में, की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

शीर्षक : “प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।”

“ऐसा प्लेट कीपर की श्रेणी से, जिसने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर 5 वर्ष सेवा की है प्रोन्नति/समरूप केन्द्रीय/राज्य/सरकारी विभाग/ख्याति प्राप्त वाणिज्य संगठन के निकायों में समतुल्य या समरूप पद या उससे ठीक नीचे के पद से प्रतिनियुक्ति।”

[फा.सं. एस एम/002/054/1999]

एम. चक्रवर्ती, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड III, उप खंड (i) में गा.का.नि. 364 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi the 29th April, 2002

G.S.R. 165.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group 'C') Recruitment Rules 1988 namely :—

- (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Plate Maker). Recruitment (Amendment) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Plate Maker), Recruitment Rules, 1988 :—
 - (i) in column 4, for the entry, the following shall be substituted, namely :—
“Rs. 4000-6000”;
 - (ii) in column 5, for the entry, the following shall be substituted, namely :—
“Selection-cum-seniority for promotion and Selection by merit for direct recruitment-deputation”.
 - (iii) in column 7 for the entries the following shall be substituted namely :—
“27 years (relaxable upto 40 years in the case of Government servants in accordance with instruction and orders issued by the Central Government”.

Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2 : In respect of posts recruitment to which is made through the Employment Exchange or similar other bodies the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange etc. are asked to submit the names.

Asstt Controller (Business)

Govt of India

Department of Publication

Civil Lines. Delhi-54

(iv) in column 11, for the entries, the following shall be substituted, namely:—

Heading: "Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods."

"By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment".

(v) in column 12, for the entries, the following shall be substituted:—

Heading: "In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made."

"Promotion from the grade of Plate Keeper with 5 years service in the grade after appointment thereto on regular basis. Deputation from equivalent of analogous posts or from posts immediately below from similar Central/State/Government Department/Autonomous Bodies of Commercial Institution of repute."

[File No. SM/002/054/1999]

S. CHAKRAVARTHY, Under Secy.

Note :— The principal rules were published vide number GSR 364 in Gazette of India para II, Section 3, Sub-section (i) dated 30-4-1988.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2002

सा.का.नि. 166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन (इलेक्ट्रिशियन) भर्ती नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन (इलेक्ट्रिशियन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन (इलेक्ट्रिशियन) भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची में,—

(i) स्तंभ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3050-4590 रुपए";

(ii) स्तंभ 5 के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन

अथवा अचयन पद

5

"चयन-सह-ज्येष्ठता"

(iii) स्तंभ 7 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की बाबत 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।"

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

attested

Asstt Controller (Business)

Govt of India

Department of Publication

Civil Lines. Delhi-54

S.S.